केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/77 दिनांक: 28.03.2019

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00063
CICOM/R/2019/00156

अपीलकर्ता : श्री पूर्ण चन्द, पुत्र - स्व0 श्री विधि चन्द,
गांव व पो0 - सतलाई,
तह0 व जिला - शिमला,
हिमाचल प्रदेश - 171012.

निर्णय की तारीख: 28.03.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	02.02.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	15.02.2019, 21.02.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अवतार तलवार, श्री के. एल. दास
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	05.03.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	100/25.03.2019 (10180/15.03.2019)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 02.02.2019 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आर.टी.आई. आवेदन के साथ संलग्न केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रेषित दिनांक 11.12.2016 के पत्र पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री के. एल. दास, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. अपीलकर्ता का आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रथम अपील आवेदन तथा केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रेषित अपीलकर्ता के दिनांक 11.12.2016 का पत्र जो आयोग के आदेश के अनुपालन से संबंधित है, अपीलकर्ता द्वारा उक्त पत्र में आयोग के किसी आदेश/निर्णय सं. का उल्लेख नहीं किया गया है । श्री के. एल. दास द्वारा प्रदान की गई सूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि – "you are requested to inform us the details of your case for necessary action in this regard."। उक्त परिप्रेक्ष्य में श्री के. एल. दास, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं. CICOM/R/2019/00156-DR(IC-BJ) के माध्यम से दिनांक 21.02.2019 को प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अपीलकर्ता को सुझाव दिया जाता है कि आयोग के आदेश सं. का उल्लेख करते हुए पूर्ण विवरण सहित श्री के. एल. दास, उप-पंजीयक, केन्द्रीय सूचना आयोग को पत्र लिखकर कार्यवाही की सूचना प्राप्त करें ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

C. I. C. / के. सू. आ.
RECEIVED
29 MAR 2019
D. No.
Initials

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

29/03/19